

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प. 1 (39) साप्र/ग्रुप-5/2011

जयपुर, दिनांक 28/05/2013

समस्त प्रबन्धक,  
विश्राम भवन,  
राजस्थान।


विषय :- **Young Interns Programme** में सलेक्ट छात्रों को विश्राम भवनों में भोजन/आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने पर ली जाने वाली दरों के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.05.2013 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि **Young Interns Programme** में सलेक्ट छात्रों को उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित दर या राज्य सरकार के विशेष आदेश से निर्धारित दर पर कमरे उपलब्ध करावें।

उपरोक्त के संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त **Young Interns Programme** में सलेक्ट छात्रों से वहीं दरें ली जानी हैं, जो कि आई.ए.एस./आर.ए.एस. (प्रोबेशनर्स) से विश्राम भवनों में प्रवास के दौरान भोजन/आवास हेतु ली जाती हैं।

भवदीय,

  
(मुन्नालाल शर्मा)  
27/05/2013  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
सहायक शासन सचिव